भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3957

12 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. प्रस्ताव

3957. डॉ॰ ए॰ चेल्लाकुमार :

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे॰एन॰एन॰यू॰आर॰एम॰) की शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाएं (बी॰एस॰यू॰पी॰) और समेकित आवास और मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई॰एच॰एस॰डी॰पी॰) योजना के अंतर्गत कुछ राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव गत दो वर्षों से लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों के कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग) : दिसंबर, 2005 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के घटकों शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं (बीएसयूपी) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) की अवधि 31 मार्च, 2012 तक थी। तथापि, 31 मार्च, 2012 तक चल रही स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, मिशन अवधि को 31 मार्च, 2017 तक बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार, पिछले दो वर्ष के दौरान बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के तहत किसी नए प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई थी।

*****